



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062021-227556
CG-DL-E-14062021-227556

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2109]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943

No. 2109]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISTHA 21, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2021

का.आ. 2269(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट नव प्रस्तावित दिल्ली-लुधियाना -अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के किमी. 514.5 किमी. से 553.5 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नव प्रस्तावित दिल्ली- लुधियाना -अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपायुक्त जम्मू	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Newly Proposed के कि.मी. 514.5 से 553.5 तक	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	बाहु	1 बाहु

[फा. सं. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2021

S.O. 2269(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 514.5 to Km. 553.5 Newly Proposed in the stretch of land from Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the U.T of JAMMU & KASHMIR

SCHEDULE

Land acquisition on N.H no. Newly Proposed in the stretch of Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway in the U.T of JAMMU & KASHMIR

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner Jammu	514.5KM To 553.5KM	JAMMU & KASHMIR	JAMMU	Bahu	1 Bahu

[F. No. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001]

RAJESH GUPTA, Director